कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा , राजस्थान बीकानेर

Email:- direleshaladarshan@gmail.com
Phone : 0151-

क्रमांक :- शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/ए/19403/8वीं परीक्षा/वॉल्यूम-2/2017/L-1 दिनांक :- 10.08.17

प्राचार्य
डाईट समस्त ।

विषयः– प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा–2017 एवं जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017 में रूग्णता एवं अन्य युक्तियुक्त कारणों से वंचित रहे विद्यार्थियों की विद्यालय स्तर पर परीक्षा आयोजन के संबंध में।

प्रसंगः– श्रीमान शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जयपुर का पत्रांकः प.17(17)प्राशि/2015 जयपुर दिनांकः 08.08.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक पत्र की पालना में लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा–2017 एवं जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017 में रूग्णता एवं अन्य युक्तियुक्त कारणों से एक अथवा अधिक विषयों की परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित रहे विद्यार्थियों की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित कर उन्हें कक्षोन्नत किया जाना है। अतः इस हेतु विद्यालय स्तर पर परीक्षा आयोजित करने हेतु उक्त दोनों परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम इस पत्र के संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। जिले के जिन विद्यालयों में ऐसे छात्र/छात्राएं हैं, उन विद्यालयों को निर्देश प्रदान करें कि ऐसे छात्र/छात्राओं की संलग्न निर्धारित समय विभाग चक्र (टाईम टेबल) के अनुसार विद्यालय स्तर पर परीक्षा आयोजित करावें। उक्त दोनों परीक्षाएं विगत सत्र में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा–2016 में वंचित रहे बालकों की परीक्षा आयोजन हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही आयोजित की जानी है। कक्षा–8 के परीक्षार्थियों की परीक्षा बोर्ड द्वारा उन्हें पूर्व में जारी नामांक से करवाई जावेगी तथा 5वीं के परीक्षार्थियों की परीक्षा डाईट द्वारा पूर्व में आवंटित किये गये नामांक से करवाई जावेगी। उक्त परीक्षाओं हेतु प्रश्न–पत्रों का निर्माण विद्यालय स्तर पर मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर किया जाना है । परीक्षाओं हेतु उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित जिले की डाईट द्वारा संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध करवाई जावेगी। परीक्षा उपरांत संबंधित विद्यालयों से प्राप्तांक सूचियां निर्धारित संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त कर जिला परीक्षा संचालन समिति से अनुमोदन करवाकर विद्यालयों को अंकतालिका जारी करने हेतु सूचियां उपलब्ध करवाई जावें। अनुमोदित सूची को सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को उपलब्ध करवाकर निदेशालय को भी सूचित करावें।

उक्त परीक्षा हेतु यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी संबंधित परीक्षार्थी सूचना के अभाव में परीक्षा देने से वंचित नहीं रहे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (02 परीक्षा कार्यक्रम)

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांकः– 10.08.17

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/ए/19403/8वीं परीक्षा/वोल्यूम–2/2017/L-1

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
2– निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर ।
3– उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ संबंधित कार्यालयों से पत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
4– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने जिले से संबंधित डाईट एवं अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों से पत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रांरभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2017 (वंचित छात्रों के लिए)

समयः—प्रातः 10 बजे से 12.30 बजे तक

दिनांक	वार	विषय
21 अगस्त, 2017	सोमवार	अंग्रेजी
22 अगस्त, 2017	मंगलवार	हिन्दी
23 अगस्त, 2017	बुधवार	तृतीय भाषा—संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / सिन्धी / गुजराती / संस्कृत (संस्कृत शिक्षा विभाग)
24 अगस्त, 2017	गुरूवार	गणित
25 अगस्त, 2017	शुक्रवार	सामाजिक विज्ञान
26 अगस्त, 2017	शनिवार	विज्ञान

नोटः—

1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी
2. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखे।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी(Alvino) तथा मायोपिया(Myopia), सेरीब्रल पाल्सी(Cerebral Palsy), पोलियो (Polio), लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb), श्रेणी के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild cases में एक घंटा अतिरिक्त तथा Moderate एंव Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
5. परीक्षा भवन में संस्था प्रधान/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों /निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जाएगा।
6. परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखें।
7. परीक्षा कक्ष में केलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
8. प्रश्न—पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
9. प्रश्न—पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्त मे "समाप्त" शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017 (वंचित छात्रों के लिए)

समयः–प्रातः 10 बजे से 12.30 बजे तक

दिनांक	वार	विषय
21 अगस्त, 2017	सोमवार	अंग्रेजी
22 अगस्त, 2017	मंगलवार	हिन्दी
23 अगस्त, 2017	बुधवार	वैकल्पिक अतिरिक्त प्रश्न–पत्र संस्कृत (संस्कृत विद्यालयों के लिए)/ उर्दू
24 अगस्त, 2017	गुरूवार	गणित
25 अगस्त, 2017	शुक्रवार	पर्यावरण अध्ययन

नोटः–

1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
2. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखे।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी(Alvino) तथा मायोपिया(Myopia), सेरीब्रल पाल्सी(Cerebral Palsy), पोलियो (Polio), लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb), श्रेणी के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild cases में एक घंटा अतिरिक्त तथा Moderate एंव Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
5. परीक्षा भवन में संस्था प्रधान/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों /निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जाएगा।
6. परीक्षार्थी अपना नामांक मूल्यांकन पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखें।
7. परीक्षा कक्ष में केलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
8. मूल्यांकन पत्रक पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com